आज हम क्या पढ़ेंगे ?

- प्रस्तावना का परिचय
- संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु
- प्रस्तावना के तत्व
- प्रस्तावना के प्रमुख शब्द

  संप्रभुता
  धर्म निरपेक्ष
  लोकतांत्रिक
  गणतंत्र
  न्याय
  स्वतंत्रता
  समता
  बंधुत्व
  प्रस्तावना का महत्व
  संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना
  प्रस्तावना में संशोधन की संभावना
- विगत वर्षों के प्रश्न

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

संविधान की प्रस्तावना

प्रस्तावना का परिचय

- सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं । इसमें संविधान का सार होता है।
- प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ एन. ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है।
- इसे 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया जिसने इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए।

संविधान के प्रस्तावना की विषय - वस्तु

- अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

प्रस्तावना के तत्व

प्रस्तावना में चार मूल तत्व है

1. संविधान के अधिकार का स्रोत प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिगृहीत करता है।
2. भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु समावादी , धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश है।
3. संविधान के उद्देश्य इसके अनुसार न्याय स्वतंत्रता समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं
4. संविधान लागू होने की तिथि : यह 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है।

प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्द

- प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्द का उल्लेख किया गया है।
- ये शब्द हैं संप्रभुता , समाजवादी , धर्मनिरपेक्ष , लोकतांत्रिक गणराज्य , न्याय , स्वतंत्रता , समता व बंधुत्व मुख्य शब्द

संप्रभुता

- संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का दोमिनियन है।
- यद्यपि **वर्ष 1949** में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती।
- एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता हैं।

समाजवादी

- वर्ष **1976** संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे।

दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी, उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए **1955** में अवादी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया।

- यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है।
- लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है , जहां सार्वजनिक निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं।
- उदारीकरण निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नयी आर्थिक नीति **(1991)** ने हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को घोड़ा लचीला बनाया है।

धर्मनिरपेक्ष

- धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी **42 वे संविधान संशोधन अधिनियम 1976** द्वारा जोड़ा गया । जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी **1974** में कहा था।
- यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य "शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे।
- इसीलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) जोड़े गए।
- भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है।"

लोकतांत्रिक

- संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक " राजव्यवस्था की परिकल्पना की गई है।
- लोकतंत्र दो प्रकार का होता है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे- स्विट्जरलैंड में।
- " दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन।
- भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है वयस्क मताधिकार , सामयिक चुनाव कानून की सर्वोच्चता , न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्यव्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं।
- संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप में किया है , जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है।

गणतंत्र

- एक लोकतांत्रिक राज्यव्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है राजशाही और गणतंत्र।
- राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख **(आमतौर पर राजा या रानी)** उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है , जैसा कि ब्रिटेन में।
- वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है , जैसे अमेरिका।

न्याय

- प्रस्तावना में न्याय तीन भिन्न रूपों में शामिल सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति रंग धर्म लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार "।
- आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा।

- राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार।

स्वतंत्रता

- स्वतंत्रता का अर्थ है- लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोकटोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना।
- प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।

समता

- समता का अर्थ है- समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है।
- इस उपबंध में समता के तीन आयाम शामिल हैं- नागरिक राजनीतिक व आर्थिक।
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 39) महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं।

बंधुत्व

- बधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है।
- मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51) भी कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक भाषायी क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा।
- प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा।
- पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता अखंडता शब्द को 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। [1]

प्रस्तावना का महत्व

- प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक , धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है।
- संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के. एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफत है।
- 'सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिशास्त्री सर अनेस्ट बार्कर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक मुद्धिबीची कहकर अपना सम्मान देते हैं।

संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना

- प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का एक भाग है या नहीं।
- बेरुजाडी संघ मामले (1960) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है।
- केशवानंद भारती मामले **(1973)** में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है।

प्रस्तावना में संशोधन की संभावना

- क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है।
- यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामले (1973) में उठा।
- यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है।
- हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है।
- न्यायालय ने अपना यह मत बेरुवादी संघ (1960) के तहत दिया और कहा कि पूर्व में इस केस में संदर्भित निर्णय गलत था और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित भूत विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता।
- अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42 वे संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है।

विगत वर्षों में आये हुए प्रश्न

Q1. भारत की सम्प्रभुता किसमें निहित है ?

(a) भारतीय संसद में
(b) राष्ट्रपति में
(c) प्रधानमंत्री में
(d) भारत की जनता में

Q2. गणतंत्र होता है -

(a) केवल एक लोकतांत्रिक राज्य
(b) अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य
(c) संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य
(d) राज्या जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो

Q3. अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है?

(a) एक बार
(b) दो बार
(c) तीन बार
(d) कभी नहीं

Q4. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है ?

(a) समाजवादी
(b) पंथनिरपेक्ष
(c) प्रभुत्वसम्पन्न
(d) लोक कल्याण

Q5. भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द ' समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे ?

(a) 28 वें
(b) 40 वें
(c) 28 वें
(d) 42 वें